

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(11) पीएस/निकाशि/2018/212

दिनांक- 3-6-19

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1(11) पीएस/निकाशि/2018/136 दिनांक 5.3.19 एवं एफ1(12) पीएस/निकाशि/2018/137 दिनांक 5.3.19 की पालना में लोकसभा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जिन वरिष्ठ सहायकों एवं कनिष्ठ सहायकों द्वारा नव पदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है, उनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक 10.06.2019 तक की वृद्धि की जाती है।




आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
दिनांक-

क्रमांक एफ1(11) पीएस/निकाशि/2018/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य- उक्त आदेशों की पालना में संबंधित कार्मिकों को निर्धारित अवधि में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर आयुक्तालय को email-jdadmn.cce@gmail.com अविलम्ब सूचित करें।
3. संबंधित कार्मिक।
4. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश संबंधित को ई-मेल करें / *upload करें*
5. स्थापना शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।